कार्यालय–निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
संख्या 56 /नियोजन/29(9)/75/नि0/2020–21, दिनांक 02-02-2021

शासनादेश संख्या–165/सैंतीस–2–2021,लखनऊः दिनांक 29 जनवरी, 2021 पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त योजना अधिकारी, मुख्यालय।
2– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3– समस्त अपर निदेशक ग्रेड–।।, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4– संयुक्त निदेशक(प्रशासन), मुख्यालय।
5– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
6– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर को इस आशय से प्रेषित की उक्त कार्यवृत्त विभागीय वेब साइट पर अपलोड करें।

(डा0 एस0के0 मलिक)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

30/नि0
2-2-2021

विभागीय योजनाओं/कार्यकमों की समीक्षा हेतु मा0 मंत्री जी पशुधन विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2021 को सम्पन्न "वीडियो कान्फ्रेंसिंग" का कार्यवृत्त–

उपस्थिति–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2. समीक्षा बैठक में यह अवगत कराया गया कि विभिन्न टेली एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से अन्य प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) के संक्रमण की सूचना प्रसारित/प्रकाशित हुई है। प्रदेश में कानपुर के चिड़ियाघर में 02 रेड जंगल फाउल में बीमारी की पुष्टि हुई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में इस रोग के प्रसार की सम्भावना पर नियंत्रण हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यता है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत गाइड लाइन जारी की गयी है। प्रदेश में एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) बीमारी से बचाव हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 08.01.2021 द्वारा आवश्यक सावधानियॉ बतरने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं। शासन की अधिसूचना दिनांक 10.01.2021 द्वारा सम्पूर्ण उ0प्र0 को "**नियंत्रित क्षेत्र**" के रूप में अधिसूचित करते हुए कुक्कुट सहित सभी प्रकार के जीवित पक्षियों का उ0प्र0 राज्य की सीमा में दिनांक 24.01.2021 तक आयात प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इस बीमारी से बचाव हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 11.01.2021 को सम्पन्न हुई तथा उक्त बैठक में विषय से सम्बन्धित समस्त विभागों के दायित्वों को चिन्हित करते हुए बीमारी से बचाव हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

बैठक में यह निर्देश दिये गये कि एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) को बीमारी को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। बीमारी से बचाव हेतु जन साधारण में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए तथा कुक्कुट मांस सुरक्षित उपभोग के लिए जनजागरण अभियान चलाकर जागरूकता उत्पन्न की जाय। एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) बीमारी से बचाव एवं जनजागरण हेतु "**क्या करें ?**"

"क्या न करें ?" का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय ताकि आम जनता में अफवाहों के आधार पर अनावश्यक भय एवं भ्रान्ति न फैलने पाये।

3. **आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय** के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 में जनपदों को आवंटित बजट के सापेक्ष सबसे कम व्यय करने वाले जनपद औरैया, फिरोजाबाद, इटावा, कौशाम्बी व बस्ती हैं। उक्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि वह व्यय प्रतिशत बढाना सुनिश्चित करें।

4. **राष्ट्रीय पशु रोग नियत्रंण कार्यक्रम** के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष 85.45 प्रतिशत एफ0एम0डी0 टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है। कुल टीकाकरण के सापेक्ष इयर टैगिंग में संतकबीर नगर, बलरामपुर, बनारस, सम्भल, हरदोई की प्रगति न्यूनतम हैं जबकि जनपद मुजफ्फरनगर, उन्नाव, अमरोहा, सहारनपुर, बस्ती एवं बाराबंकी ने अच्छा कार्य किया है। निर्देशित किया गया है कि एफ.एम.डी. टीकाकरण व टीकाकरण के सापेक्ष टैगिंग दोनों अलग–अलग कार्यक्रम है। अतः इन्हें एक में मिलाकर न देखा जाय। टीकाकरण के सापेक्ष टैगिंग की सूचना अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाय। समस्त मु0प0चि0अ0 व मण्डलीय अपर निदेशक पोर्टल को प्रतिदिन खोलकर देखे एवं सही सूचना मुख्यालय को प्रेषित करें। टैगिंग का कार्य प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराया जाय।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि ईयर टैगिंग का कार्य सावधानी पूर्वक किया जाए, जिससे कान पकने न पाये। पशुओं के कान पक जाने से अन्य पशु मालिक घबरा जाते हैं और ईयर टैगिंग करने से मना करने लगते है। अतः जिन पशुओं के कान पक जाते है उन पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाय। टैगिंग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्राथमिकता के कार्यक्रमों में सम्मिलित है इसलिए इसमें कोई लापरवाही न बरती जाये।

5. **एच.एस.टीकाकरण** की समीक्षा में पाया गया कि जनपद आगरा, औरैया, अलीगढ़ मथुरा, शामली एवं कन्नौज की प्रगति 70 प्रतिशत से भी कम हैं। निर्देशित किया गया कि टीकाकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण की जाय। पशुचिकित्साधिकारी औरैया को देर से आने, एच.एस. टीकाकरण व इनाफ पोर्टल पर अपलोडिंग की प्रगति कम होने तथा अन्य विभागीय योजनाओं में कम रूचि लेने पर कठोर चेतावनी देने हेतु निदेशक, (प्रशासन एवं विकास) को निर्देशित किया गया।

6. **बधियाकरण** की समीक्षा में पाया गया कि जनपद ललितपुर, बांदा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर की प्रगति सबसे कम होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। उक्त जनपदों को बधियाकरण व इनाफ पोर्टल पर अपलोडिंग की प्रगति कम होने पर चेतावनी देते हुए इस कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये गये। मु.प.चि.अ. फिरोजाबाद ने बधियाकरण के लक्ष्य में संशोधन हेतु अनुरोध किया,

जिसपर अपर निदेशक (गोधन) को निर्देशित किया कि बधियाकरण के लक्ष्य निर्धारण पर पुनः विचार करें और संशोधित लक्ष्य जनपदों को उपलब्ध कराये।

7. **पशुधन बीमा** की समीक्षा में पाया गया कि जनपद सिद्धार्थनगर, चन्दौली, फिरोजाबाद, चित्रकूट, गौतमबुद्धनगर व एटा की प्रगति 10 प्रतिशत से कम है, जबकि अयोध्या, गोरखपुर, कौशाम्बी, संतकबीरनगर एवं कानपुर देहात की प्रगति 300 प्रतिशत से भी अधिक है। जनपद सिद्धार्थनगर की प्रगति शून्य होने के सम्बन्ध में मु.प.चि.अ. सिद्धार्थनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में बीमा कम्पनी का कोई एजेन्ट नही आया है। बीमा एजेन्ट के न आने के बारे में कई जनपदों द्वारा अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जनपदों में बीमा कम्पनी के एजेन्ट की उपलब्धता सुनिश्चित कराये तथा सबसे कम प्रगति वाले 10 जनपदों यथा सिद्धार्थनगर, चन्दौली, फिरोजाबाद, चित्रकूट, गौतमबुद्धनगर, एटा, अलीगढ, हापुड, हाथरस व कन्नौज से स्पष्टीकरण मांगा जाये और आगे प्रगति न होने पर विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाये।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि पशुपालकों/कृषकों में बीमा के प्रति जागरूकता पैदा हो गयी है और वे पशुओं/फसलों का बीमा कराना चाहते हैं। अतः यह निर्देश दिये गये कि विशेष प्रयास करके बीमा कराया जाय एवं अपेक्षित प्रगति प्राप्त की जाय, जिससे पशुपालकों को योजना का समुचित लाभ मिल सकें।

8. **कुक्कुट विकास नीति** अन्तर्गत ब्याज प्रतिपूर्ति की समीक्षा में पाया गया कि जनपद हाथरस, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जालौन का व्यय प्रतिशत शून्य है जबकि 45 जनपदों द्वारा शत्–प्रतिशत व्यय कर लिया गया है। निर्देशित किया गया कि ब्याज प्रतिपूर्ति के बिल प्राप्त कर तत्काल इस योजना का लाभ लाभार्थियों को दिया जाये।

9. **कामधेनु योजना** के अन्तर्गत ब्याज प्रतिपूर्ति की समीक्षा में पाया गया कि 19 जनपदों का व्यय शून्य प्रतिशत रहा है तथा 22 जनपदों द्वारा मात्र 60 प्रतिशत तक ही व्यय किया गया है। निर्देशित किया कि समस्त लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर ब्याज प्रतिपूर्ति के बिल प्राप्त करें तथा सत्यापन उपरान्त भुगतान करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाये।

10. **अनुसूचित जातियों के लिये बैकयार्ड कुक्कुट पालन तथा रूरल बैक्यार्ड सूकर पालन योजना** अन्तर्गत अधिकांश जनपदों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण न करने पर सभी अधिकारियों को निदेर्शित किया गया कि वह तत्काल लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर निदेशालय को चयन सूची प्रेषित करें।

11. किसान केडिट कार्ड की समीक्षा में निर्देशित किया गया कि किसान केडिट कार्ड अन्तर्गत आवेदन फार्मो को बैंकों में जमा कराने के लक्ष्य को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाय तथा दुग्ध विकास विभाग के नोडल अधिकारियों से समन्वय कर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पी.एम.एफ.बी.वाई. पोर्टल के यूजर आई.डी. व पासवर्ड से बैंको में जमा फार्मों का विवरण अपलोड कराया जाय। भविष्य में पी.एम. एफ.बी.वाई. पोर्टल पर अपलोड फार्मों की प्रगति पर ही समीक्षा की जायेगी।

12. कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की समीक्षा में पाया गया कि जनपद ललितपुर, बांदा, झांसी, प्रतापगढ की प्रगति अत्यंत कम है। अपर निदेशक, ग्रेड–2, झांसी व चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि वह समीक्षा कर प्रगति लाना सुनिश्चित करायें।

अवगत कराया गया कि कृत्रिम गर्भाधान से ही पशुओं के नस्ल में सुधार होगा और वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करने में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ नर गोवंश की संख्या में कमी आयेगी। वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान की लेवी प्रदेश में रू0 300/–है, जबकि हरियाणा राज्य में रू0 150/– निर्धारित है। अतः इस सम्बन्ध में परीक्षण कर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक को दिये गये।

13. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान की समीक्षा में पाया गया कि जनपद–देवरिया व चन्दौली ने अच्छा कार्य किया है जबकि बाकी जनपदों की प्रगति अत्यंत खराब है। जनपद देवरिया व चन्दौली के मु0प0चि0अ0 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जिम्मेदारी व दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर, कार्य सम्पादित कराया गया है। निर्देशित किया गया कि अन्य जनपदों के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी तदनुसार लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनपद में उपलब्ध कम्प्यूटर आपरेटरों से प्रत्येक दिवस में 450 कृत्रिम गर्भाधान की अपलोडिंग कराये तथा मुख्यालय से लगातार अनुश्रवण व निगरानी की जाये। समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, जनपदों में उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम व कम्प्यूटर आपरेटरों का सत्यापन कर रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराये। कुछ जनपदों द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में विभागीय बजट से कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से भी अनुरोध कर लिया जया। अपर निदेशक, गोधन को निर्देशित किया गया कि इस सम्बंध में समस्त जिलाधिकारियों को एक पत्र शासन स्तर से जारी करायें।

सभी मु0प0चि0अ0 एवं मण्डलीय अपर निदेशकों को सचेत किया कि विभाग की प्रमुख विकास परक योजनाओं की प्रगति के आधार पर ही वार्षिक चरित्र प्रविष्टि प्रदान की जायेगी। अतः इन योजनाओं में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। यह भी

सुनिश्चित किया जाय कि लाभार्थीपरक योजनाओं के ब्याज की प्रतिपूर्ति का लाभ लाभार्थियों को ससमय मिल सके। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. **वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान** की समीक्षा योजनान्तर्गत 67 जनपदों की प्रगति 1.43 से 19.5 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि सभी प0चि0अ0 एवं उप मु0प0चि0अ0 कृत्रिम गर्भाधान का कार्य स्वयं करें, जिससे पशुपालको में इस योजना के प्रति भरोसा बढ सके। वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराने से दुग्ध उत्पादन बढाने एवं छुटटा गोवंश से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, अतः इस कार्य में तेजी लायी जाय।

15. **वृहद गो संरक्षण केंद्रों/गोवंश वन्य विहारों** की स्थिति तथा कियाषीलता की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018–19 में कुल 75 में से 73 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केंद्रों/गोवंश वन्य विहार का निर्माण कार्य पूर्ण व कियाशील है तथा जालौन एवं रामपुर का निर्माण कार्य अपूर्ण है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जालौन द्वारा आश्वस्त किया गया कि माह जनवरी, 2021 के अन्त तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रामपुर ने बताया कि केन्द्र क। छत टूट गयी है, कार्यदायी संस्था कार्य नही कर रही है। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी के संज्ञान में लाकर कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर कार्य पूर्ण करायें।

वर्ष 2019–20 में कुल 112 वृहद गो संरक्षण केंद्रों/गोवंश वन्य विहारों में से 50 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें से 39 केन्द्र कियाशील है और 11 जनपदों यथा संतकबीर नगर, गाजियाबाद, कुशीनगर, बाराबंकी, हमीरपुर, बस्ती, प्रतापगढ, मथुरा, फिरोजाबाद, महाराजगंज तथा मऊ में केन्द्रों का निर्माण पूर्ण है परन्तु अकियाशील हैं। जनपद कुशीनगर, गाजियाबाद, हमीरपुर के मु0प0चि0अ0 द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्र कियाशील हो चुके है। जनपद बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा दिनांक 13.01.2021 को उद्घाटन होगा। मु0प0चि0अ0 संतकबीर नगर व बस्ती द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्र में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य एक हफ्ते में पूर्ण कराकर केन्द्र कियाशील कर दिया जायेगा। निर्देशित किया गया कि कियाशील हो चुके केन्द्रों की सूचना, संरक्षित गौवंश सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय तथा 62 अपूर्ण केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

वर्ष 2020–21 में कुल 11 वृहद गो संरक्षण केंद्रों की 50 प्रतिशत धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है तथा 20 केन्द्रों हेतु वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन द्वारा जारी कर दिया गया हैं। समस्त अपर निर्देशक, ग्रेड 2 और मुख्य

पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला प्रशासन से समन्वय कर भूमि के चिन्हांकन की कार्यवाही कराकर सुसंगत प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करें।

अवगत कराया गया कि अलीगढ, हाथरस व मथुरा में अत्यधिक संख्या में छुटटा गोवंश है। विभाग के पास केन्द्रों के निर्माण हेतु पर्याप्त बजट प्राविधान है। अतः जमीन का चिन्हांकन करवाकर वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे छुटटा गोवंश से छुटकारा मिल सके।

16. भरण–पोषण हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किये जाने की समीक्षा में जनपद रामपुर, महाराजगंज, देवरिया, श्रावस्ती, हाथरस, बलरामपुर, सोनभद्र व अमरोहा द्वारा व्यय के सापेक्ष कम उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझकर जिलाधिकारी से समन्वय कर मुख्यालय को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समस्त अपर निदेशक, ग्रेड–2 को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2018–19 व 2019–20 के शत्–प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित करवायें अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मु0प0चि0अ0, रामपुर को निदेर्शित किया गया कि वह वर्ष 2018–19 में आवंटित धनराशि रू0 100.00 लाख को मुख्यालय वापस करें। इस संबंध में मुख्यालय से लिखित पत्र जारी कर, धनराशि वापसी प्राप्त की जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि भरण पोषण हेतु धनराशि की मांग, उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषण के हिसाब से ही जनपदों को अगले बजट का आवंटन किया जायेगा।

17. जनपदों में छुट्टा/निराश्रित गौवंश की संख्या के सापेक्ष संरक्षित गौवंश की समीक्षा में अवगत कराया गया कि अगर किसी जनपद में छुटटा गौवंश नही है, तो जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर गोवंश संरक्षण के लक्ष्य में कटौती कर दी जायेगी, परन्तु कुल छुटटा गोवंश की संख्या नही बदलेगी क्योंकि वह पशुगणना द्वारा जारी आकडें हैं।

18. पशु आरोग्य मेला आयोजन की समीक्षा में अवगत कराया गया कि पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में वृहद आरोग्य शिविर/मेला का आयोजन दिनांक 30.01.2021 से 15.03.2021 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। पशु आरोग्य मेला हेतु बजट व दवाओं का आवंटन शीघ्र ही जनपदों को कर दिया जाएगा। इस संबंध में स्थल चयन व प्रचार–प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

19. अवगत कराया गया कि **मानव सम्पदा पोर्टल** पर कार्मिकों का डाटा अपलोड करने में विभाग द्वारा 140 कार्यालयों में से 73 कार्यालयों ने सेवा–पुस्तिका

का पोर्टल पर अंकन एवं सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया है। 67 कार्यालयों का कार्य अपूर्ण है। अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनवरी माह के अन्त तक इस कार्य को अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या–165 / सैंतीस–2–2021
लखनऊः दिनांकः 29 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6 अपर निदेशक (गोधन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।